संख्या-139/2025/1031/सैंतीस-2-2025-1(32)/2015

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 अगस्त, 2025

विषयः- **वर्ष 2016-17 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के संचालन हेतु निर्गत मार्ग-निर्देशिका में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-78/सा0-1/एक्स-84(120)/बहु.स.प.चि.से./2025-26, दिनांक-10.06.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में 04 नवीन विकासखण्डों के सृजन के फलस्वरूप बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका को सम्यक विचारोपरान्त आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
योजना प्रदेश के 68 जनपदों के 774 विकासखण्डों (बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को छोड़कर जहां योजना पूर्व से संचालित है) में संचालित की जायेगी।	योजना प्रदेश के 68 जनपदों के 778 विकासखण्डों (बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को छोड़कर जहां योजना पूर्व से संचालित है) में संचालित की जायेगी।

2- विषयगत् योजना के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त मार्ग-निर्देशिका में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-139/2025/1031(1)/सैंतीस-2-2025-1(32)/2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।